राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प सांगरानाडी तहसील पचपदरा, पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

मुकदमा नम्बर – 466 /2018

प्रार्थीगण :–

1. जेठाराम पुत्र माईगरामजी कुम्हार
2. बंशीलाल पुत्र हडमतरामजी
3. पुरखाराम पुत्र माईगरामजी कुम्हार
   निवासी सांगरनाडी तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मालाराम पुत्र खुशालरामजी प्रजापत नि0 सागरानाडी
2. जेठाराम पुत्र सोनाराम प्रजापत
3. सकाराम पुत्र रूपाराम
4. भारताराम पुत्र पाबूरामजी सभी जाति प्रजापत
5. घेवरराम पुत्र मोटाराम मेघवाल
6. तिलाराम पुत्र वीरारामजी जाति प्रजापत
7. साण्डाराम पुत्र मगारामजी प्रजापत निवासी सागंरानाडी
8. वलीखां पुत्र सुभानखां मुसलमान निवासी पटोदी
9. शोकिनशाह पुत्र आशीनशाह मुसलमान निवासी पटोदी
   तसहीलदार पचपदरा जिला बाडमेर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर एल आर एक्ट 111,128

आदेश **दिनांक : 19.06.2018**

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार सागरानाडी में पेश हुई प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत सरहद मौजा के खेत खसरा न0 2587/72.16 बीघा, ख0स0 2781/2587 रकबा 29.08 बीघा, ख0स0 3779/2587 रकबा 14 बीघा, ख0स0 2778/2587 रकबा 296.08 बीघा सरहद मौजा सांगारानाडी तहसील पचपदरा में स्थित है। विप्रार्थीगण संख्या 01 ता 07 उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है, प्रार्थीगण के खेत के पडोसी होने के कारण अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करवाना चाहते है। विप्रार्थीगण को जरिये सम्न दिनांक 7.09.2018 को जारी किया गया। प्रार्थीगण विवादित

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.....19.06.2018

Scanned by CamScanner

भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

दोनो पक्षकार उपस्थित। दोनो पक्षकार ने आपसी सहमति से सीमाज्ञान कराने की दी। अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करने हेतु भूमापक कर्ता को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता पाटोदी को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । तहरीर जारी हो। भू– मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश न्याय आपके द्वार मे सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......स।7।3।21....18

Scanned by CamScanner